

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(Water/PHED)2018 / एफसीए / प्रमुवसं. /

दिनांक

निमित्त:

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 2.0467 ha of forest land in favour of PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT for Balance work of cluster scheme of 315 villages of Mandalgarh, Bijoliya and Jahajpur Tehsils along with Augmentation of UWSS of mandalgarh and Bijoliya Towns from Aroli Headworks under Chambal-Bhilwara Water Supply Project Phase-II, Package-VIII of District Bhilwara.

(Proposal no. FP/RJ/WATER/36565/2018)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8वीं/राज/08/30/2020/एफसी/826 दिनांक 18.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से भारत सरकार के द्वारा वांछित सूचनाएं मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 5882 दिनांक 12.11.2020 से प्राप्त हुई है जो कि निम्नानुसार हैं:-

Sr. No.	EDS Observation by Forest Department	Reply by User Agency
1	NOC of Concerned Department has to be submitted.	The NOC/permission from Concerned Department (NHAI&Railway) is attached herewith. The Scanned copy has been uploaded in Part-I on PARIVESH Portal.
2	KML file of CA land has to be uploaded on parivesh portal and KML file of alternate routes needs to be provided.	KML File as well as maps of CA Land has been uploaded in Part-I on PARIVESH Portal. We hereby undertake that we have proposed the drinking water supply pipeline along the road to minimize the impact on forest land as well as from maintenance point of view therefore no other alternative route is feasible.

अतः उक्तानुसार प्राप्त सूचना के दो सैट संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि मूल प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को अग्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(Water/PHED)2018 / एफसीए / प्रमुवसं. / 3457-59

दिनांक 24.11.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
2. उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा।
3. अधिशाषी अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. वि. परियोजना खण्ड-माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा।

(पी. सी. कुमावत)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर